क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
जे-1, ज्ञान सरोवर कॉलौनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक 1123/KA-82/2023 दिनांक 22-08-2023

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

विषय-- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-402/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-402/2023 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या-753/के.ए.-82/2023, दिनांक 26.06.2023 के द्वारा ईट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-करसाना, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज का निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:-

1. उपजिलाधिकारी, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।

उक्त समिति द्वारा ईट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-करसाना, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज का निरीक्षण दिनांक 07.08.2023 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ मूलरुप में संलग्न है। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई-मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in के माध्यम से अपलोड की गयी है। आख्या सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी महोदया, कासगंज।
2 उपजिलाधिकारी, तहसील-सहावर, जनपद-कासगंज।
3 मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
4 मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।
5 श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, बी--235, सेक्टर-19, नोएडा।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–402/2023 डॉ0 सफदर अली खान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या–402/2023 डॉ0 सफदर अली खान बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में दिनांक 30.05.2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:–

1. This Original Application has been registered under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 10.04.2023 sent by Dr Safdar Ali Khan,S/o Murtja Ali Khan, R/o Village Karsana, Tehsil Shavar, PS Amapur, District Kasganj.
2. Grievance raised in the application is that there is a brick kiln namely ASG Ent Udhyog, Village Karsana, Tehsil Shavar, District Kasganj which was running illegally and closed vide order dated 05.04.2022 but despite the said closure, in utter violation of closure order, the same is continuously being operated by brick kiln owner Tausif Raja S/o Shakeel Ur Rehman.
3. In our view, the issue raised in this application can at the first instance, be looked into by concerned local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint committee comprising State PCB and District Magistrate, Kasganj who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds violation, would take appropriate remedial action including, preventive and punitive action (including, assessment of environmental compensation) in accordance with law within two months.
4. Nodal agency will be State PCB for coordination and compliance.
5. With above direction, application is disposed of.
6. A copy of this order along with a copy of complaint be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by email for compliance.

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज में स्थित ईट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईट उद्योग की जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज के पत्र संख्या–753/के0ए0–82/2023 दिनांक 26.06.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–1)** के द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:–

1. उपजिलाधिकारी, तहसील–सहावर, कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, अलीगढ़।

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में उक्त समिति के द्वारा ईट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईट उद्योग, ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज का निरीक्षण दिनांक 07.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे पर चौकीदार उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:–

1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे की उत्पादन क्षमता–20,000 ईंट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. ईट भट्ठे के अक्षांश– 27.74046 व देशान्तर–78.70130 है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे का आकार अण्डाकार पाया गया। ईट भट्ठे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्ठा वर्ष–2021 से स्थापित/संचालित है। जी.एस.टी. विभाग के द्वारा जारी पंजीकरण संख्या–09CNNPR7827J1Z2 दिनांक 05.10.2021 की छायाप्रति संलग्न है, **(छायाप्रति संलग्नक–2)।**
4. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईंट का उत्पादन किया जाना है।
5. ईंट भट्ठा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईंट बनाने हेतु मिट्टी मिक्सिंग में किया जाता है।
6. ईंट भट्ठे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्रवाह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैप्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
7. ईंट भट्ठे में ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिन किया जाता है। ईंट भट्ठे में कोयले के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तले से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्ठे में ईधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियन्त्रण हेतु वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।

उक्त ईट भट्ठे को इस कार्यालय द्वारा स्थापना हेतु स्थापनार्थ सहमति तथा संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रदान नही की गयी है।

9. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुश्रवण हेतु प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल मानकों के अनुरूप नही पाये गये। निरीक्षण के समय खीचे गये फोटोग्राफ संलग्न हैं **(संलग्नक–3)**।

10. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे के परिसर में हरित पट्टिका का विकास होते हुए नही पाया गया।

11. उक्त ईट भट्ठे के जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या–09CNNPR7827J1Z2 दिनांक 05.10.2021 के अनुसार ईट भट्ठा के प्रोपराइटर श्री तौसिफ रजा पुत्र श्री शकीलुर्रहमान, निवासी–ग्राम–करसाना, थाना–अमांपुर, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है।

12. उक्त ईट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच71341/सी–4/ईट–705/बन्दी आदेश/2022 दिनांक 08.02.2022 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश की **छायाप्रति संलग्नक–4 पर उपलब्ध है।** उक्त बन्दी आदेश के अनुसार उक्त ईट भट्ठा उ0प्र0 शासन, लखनऊ के द्वारा जारी उ0प्र0 ईट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 दिनांक 27.06.2012 की गाइडलाइन के अनुरूप नही है।

13. पूर्व में उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण उपजिलाधिकारी (न्यायिक) कासगंज तथा तहसीलदार–सहावर, कासगंज के द्वारा निरीक्षण दिनांक 14.04.2023 को किया गया। संयुक्त जांच आख्या की **छायाप्रति संलग्नक–5** पर उपलब्ध है। समिति द्वारा मौके पर ईट भट्ठे में फुकाई कार्य बन्द करा दिया गया।

14. पूर्व में उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण दिनांक 20.06.2023 के समय ईट भट्ठा संचालित नही पाया गया। निरीक्षण आख्या के आधार पर उक्त ईट भट्ठे के विरूद्ध रू0 1,25,000/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ वायु (प्रदूषण नियन्त्रण तथा निवारण) अधिनियम–1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति इस कार्यालय के पत्र संख्या–810/के.ए.–82/2023 दिनांक 30.06.2023 **(छायाप्रति संलग्नक–6)** के द्वारा बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।

उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अजय कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़।

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
अलीगढ़

(प्रेम नारायण सिंह)
उप जिलाधिकारी, सहावर
जनपद कासगंज।
उपजिलाधिकारी
सहावर (कासगंज)

संलग्नक-1

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

पत्रांक : 753/KA-02/2023 दिनांक : 26-6-23

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या-402/2023 डॉ सफदर अली खान बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 30.05.2023 को आदेश पारित किया गया है, जोकि निम्नलिखित है:-

1. This Original Application has been registered under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 10.04.2023 sent by Dr Safdar Ali Khan,S/o Murtja Ali Khan, R/o Village Karsana, Tehsil Shavar, PS Amapur, District Kasganj.
2. Grievance raised in the application is that there is a brick kiln namely ASG Ent Udhyog, Village Karsana, Tehsil Shavar, District Kasganj which was running illegally and closed vide order dated 05.04.2022 but despite the said closure, in utter violation of closure order, the same is continuously being operated by brick kiln owner Tausif Raja S/o Shakeel Ur Rehman.
3. In our view, the issue raised in this application can at the first instance, be looked into by concerned local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint committee comprising State PCB and District Magistrate, Kasganj who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds violation, would take appropriate remedial action including, preventive and punitive action (including, assessment of environmental compensation) in accordance with law within two months.
4. Nodal agency will be State PCB for coordination and compliance.
5. With above direction, application is disposed of.
6. A copy of this order along with a copy of complaint be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by email for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठा मै0 ए.एस.जी. ईट उद्योग, ग्राम-करसाना, तहसील-सहावर, पोस्ट-अमांपुर, जनपद-कासगंज की जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-सहावर, जनपद कासगंज।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

P.T.O

गठित समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्ठे की जॉच आख्या 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने के साथ–साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।

(हर्षिता माथुर)
जिलाधिकारी, कासगंज

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. उप जिलाधिकारी, तहसील–सहावर, जनपद कासगंज
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।

जिलाधिकारी, कासगंज

उ०प्र०प्र०नि० बोर्ड
अलीगढ़

टिप्पणी एवं आदेश

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/जिलाधिकारी महोदया, कासगंज

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–402/2023 डॉ सफदर अली खान बनाम उ0प्र0 राज्य में दिनांक 30.05.2023 का संदर्भ ग्रहण करना चाहे, जोकि पत्रावली मे दाहिनी ओर संलग्न है (पताका–क)। उक्त आदेश निम्नलिखित हैः–

1. This Original Application has been registered under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') on a letter petition dated 10.04.2023 sent by Dr Safdar Ali Khan,S/o Murtja Ali Khan, R/o Village Karsana, Tehsil Shavar, PS Amapur, District Kasganj.
2. Grievance raised in the application is that there is a brick kiln namely ASG Ent Udhyog, Village Karsana, Tehsil Shavar, District Kasganj which was running illegally and closed vide order dated 05.04.2022 but despite the said closure, in utter violation of closure order, the same is continuously being operated by brick kiln owner Tausif Raja S/o Shakeel Ur Rehman.
3. In our view, the issue raised in this application can at the first instance, be looked into by concerned local authorities, for the purpose whereof, we constitute a joint committee comprising State PCB and District Magistrate, Kasganj who shall look into the matter, visit the site, collect relevant information and if finds violation, would take appropriate remedial action including, preventive and punitive action (including, assessment of environmental compensation) in accordance with law within two months.
4. Nodal agency will be State PCB for coordination and compliance.
5. With above direction, application is disposed of.
6. A copy of this order along with a copy of complaint be forwarded to State PCB and District Magistrate, Kasganj by email for compliance.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.05.2023 के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्‌ठा मै0 ए.एस.जी. ईट उद्योग, ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, पोस्ट–अमांपुर, जनपद–कासगंज की जॉच किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की समिति का गठन किया जाना उचित हैः–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–सहावर, जनपद कासगंज
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, कासगंज।

अतः गठित समिति के सम्बन्धित अधिकारियों को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में सन्दर्भित ईट भट्‌ठे की जॉच किये जाने तथा जांच आख्या 15 दिन के अन्दर जिलाधिकारी महोदया को प्रस्तुत करने के साथ–साथ नियमानुसार समयान्तर्गत मा0 एन0जी0टी0 की ई–मेल आई0डी0 judicial-ngt@gov.in पर अपलोड कराये जाने हेतु पत्र का स्वच्छ आलेख पत्रावली में दाहिनी ओर संलग्न है (पताका–ख)।

कृपया सहमत होने की दशा में हस्ताक्षर करना चाहें।

16-6-2023

20/6/23
अपर जिलाधिकारी
जनपद–कासगंज

20/6/23
जिलाधिकारी

संलग्नक 14

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09CNNPR7827J1Z2

1.	**Legal Name**	TAUSIF RAZA			
2.	**Trade Name, if any**	M/S A. S. G. ENT UDYOG			
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship			
4.	**Address of Principal Place of Business**	., VILLAGE KARSANA, AMANPUR, SAHAWAR, KASGANJ, Kanshiramnagar, Uttar Pradesh, 207241			
5.	**Date of Liability**				
6.	**Period of Validity**	From	05/10/2021	To	Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular			
8.	**Particulars of Approving Authority**	Centre			

Signature	Signature Not Verified Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4) Date: 2021.10.05 12:16:11 IST
Name	Hari Dutt Upreti
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	Kashiram Nagar Sector-1
9. Date of issue of Certificate	05/10/2021
Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.	

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 05/10/2021 by the jurisdictional authority.

सत्यमेव जयते

GSTIN	09CNNPR7827J1Z2
Legal Name	TAUSIF RAZA
Trade Name, if any	M/S A. S. G. ENT UDYOG

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State	0

सत्यमेव जयते

GSTIN	09CNNPR7827J1Z2
Legal Name	TAUSIF RAZA
Trade Name, if any	M/S A. S. G. ENT UDYOG

Details of Proprietor

1

Name	TAUSIF RAZA
Designation/Status	Proprietor
Resident of State	Uttar Pradesh

भारत सरकार

Government of India

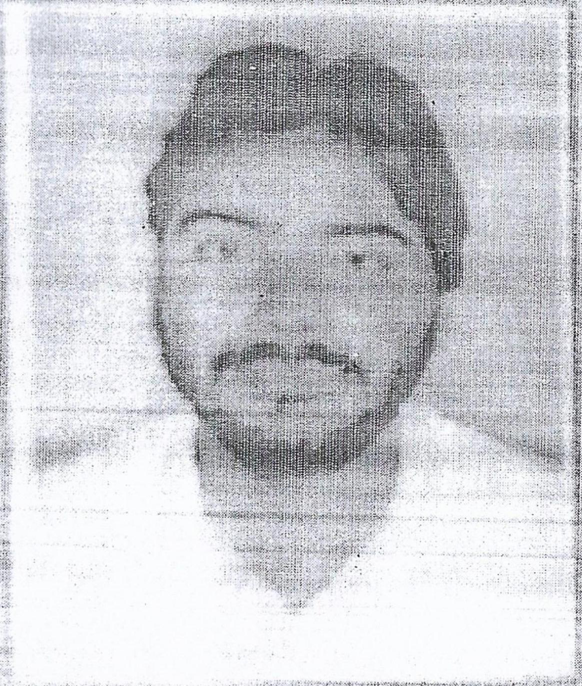

तौसीफ रजा

Tausif Raza

जन्म तिथि / DOB [redacted]

पुरुष / Male

[redacted]

Issue Date: 22/02/2015

मेरा आधार, मेरी पहचान

Latitude: 27.740216
Longitude: 78.701396
Altitude: 112.8±29 m
Accuracy: 6.9 m
Time: 07-08-2023 13:09
Note: ASG Amapur road kashganj

संलग्नक-4

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

पंजीकृत

संदर्भ संख्या: H7/341 दिनांक 8/2/2022

सी–4/ईंट–705/बन्दी आदेश/2022

मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग,
ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर,
जनपद– कासगंज

मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसांना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज, ईंट के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित किये जाने हेतु निर्माणाधीन है जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–40 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज के विरूद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त शिकायत के संदर्भ में ईंट भट्ठे का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के अधिकारियों द्वारा दिनांक 22.11.2021 को ईंट भट्ठा प्रतिनिधि श्री तौसिफ की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत ईंट भट्ठा ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज में अक्षांश 27.7499804 एवं देशान्तर 78.7014278 पर अमांपुर रोड से टोडरपुर लिंक रोड के पास स्थापित किया जा रहा है। ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र (CTE) प्राप्त नहीं किया गया है। ईंट भट्ठे के चारों ओर आम के बाग लगभग 2.5 एकड़ से अधिक स्थापित हैं। ईंट भट्ठा स्थल से पूर्व दिशा में टोडरपुर लिंक रोड लगभग 50 मीटर तद्पश्चात् आम के बाग 50 बीघा एवं लगभग–750 मीटर दूरी पर ग्राम–करसाना स्थित है। दक्षिण दिशा में भट्ठा परिसर के सनिकट बाग लगभग–2.5 एकड़ से अधिक तद्पश्चात् ग्राम–टोडर पुर लगभग–500 मीटर, पश्चिम दिशा महदुआ गॉव लगभग–1 कि0मी0 तथा उत्तर दिशा में लगभग–800 मीटर दूरी पर ग्राम– गादुपुरा स्थित है। प्रश्नगत ईंट भट्ठा उ0प्र0 शासन द्वारा जारी उ0प्र0 ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप स्थापित नहीं किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 1490/एनओसी/2021, दिनांक–04.12.2021 द्वारा आपको नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका कोई प्रत्युत्तर आप द्वारा राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के द्वारा पत्रांक–1576/केए–82/2021 दिनांक 23.12.2021 एवं 1733/एन0ओ0सी0–3069/2022 दिनांक 29.01.2022 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईंट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा– 31ए के अंतर्गत विधिक/बन्दी की कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में वायु प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा निम्नलिखित बन्दी आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. यह कि अनाधिकृत रूप से स्थापित किये ज़ा रहे ईंट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

ASO

12/2/22

2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दें।

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, कासगंज को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि ईंट भट्ठे की स्थापना हेतु किये जाने जा रहे निमार्ण कार्य को तत्काल अपने स्तर से बंद करवाने हेतु कृपया सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद–कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद–कासगंज को इस आशय के साथ कि अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्ठा मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम– करसाना, तहसील–सहावर, जनपद– कासगंज को स्थापना/संचालन हेतु भट्ठे का लाइसेन्स इत्यादि स्वीकृत न करें।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

56/SDM(J)
17/5/23

21

संलग्नक-S

संयुक्त जॉच आख्या

अपर जिलाधिकारी,
कासगंज।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रॉक संख्या 449/एस0टी0 दिनांक 13. अप्रैल, 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके साथ डा0 सफदर अली खान पुत्र श्री मुर्तजा अली खान निवासी ग्राम करसाना तहसील सहावर जनपद कासगंज का प्रार्थना–पत्र संलग्न है उक्त प्रार्थना पत्र में ए0एस0जी0 ईट भट्टे ग्राम करसाना तहसील सहावर जनपद कासगंज में अवैध रूप से संचालन को रूकवाए जाने हेतु शिकायत की थी।

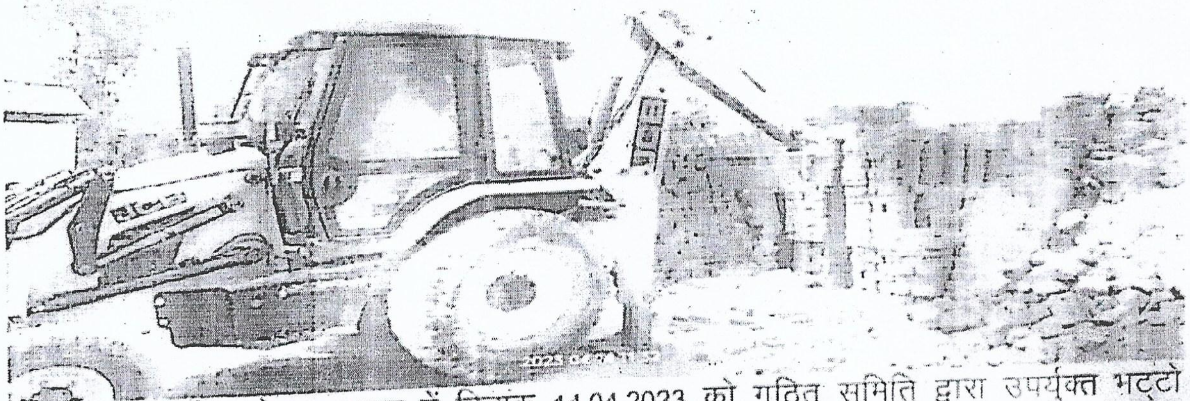

उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 14.04.2023 को गठित समिति द्वारा उपर्युक्त भट्टो का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ए0एस0जी0 ईट भट्टे ग्राम करसाना तहसील सहावर जनपद कासगंज संचालित पाये गयें। समिति द्वारा मौके पर ए0एस0जी0 ईट भट्टे मे आग की फुकाई बद करा दिया गया । पूर्व में उक्त ईट उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये गये थे। जिसके अनुपालन में दिनांक 05.04.2022 को उक्त ईट भटटे का संचालन बन्द करा दिया गया था उक्त बन्दी आदेश व ईट भटट का संचालन बन्द कराने के पश्चात पुनः भट्टे का संचालन करने के कारण मे0 ए0एस जी0 ईट उद्योग करसाना तहसील सहावर जनपद के विरुद्ध कार्यवाही उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अलीगढ के स्तर से भी किये जाने की आवश्यकता है। अतः समिति की जॉच आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

17.5.023	17/5/23
(श्रीमती कल्पना चौहान)	(विनोद जोशी)
तहसीलदार सहावर	उप जिलाधिकारी(न्यायिक)
कासगंज	कासगंज

संलग्नक-6

क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रयोगशाला
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़

REGIONAL OFFICE & LABORATORY

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, ALIGARH

पत्रांक 810 / KA-82/2023 दिनांक 30.06.2023

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4)
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः– मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के निरीक्षण आख्या प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। कार्यालय अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या–एच71341 दिनांक 08.02.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है। सन्दर्भित ईट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा संचालित नही पाया गया। निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा ईंट भट्ठे के संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 05.04.2023 से प्रारंभ किया गया है। कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज के माध्यम से प्राप्त संयुक्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 14.04.2023 को गठित समिति द्वारा उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। समिति द्वारा मौके पर उक्त ईट भट्ठे में आग की फुकाई बन्द करा दी गयी। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।

अतः दिनांक 05.04.2023 से दिनांक 14.04.2023 तक कुल 10 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0 =12,500/- प्रतिदिन की दर से 10 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x10 = 1,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ0 जे0पी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

प्रतिलिपि : अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), कासगंज को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 संख्या–837/2022 सुन्तेरा सिंह यादव बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.11.2022 के अनुपालन में मै0 ए0एस0जी0 ईंट उद्योग, ग्राम–करसाना, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्याः–

सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सन्दर्भ में आपके आदेशानुसार शिकायती ईंट भट्ठे का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 20.06.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईंट भट्ठा प्रतिनिधि के रूप में श्री कल्लू उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित नहीं पाया गया।
2. कार्यालय अभिलेखानुसार सन्दर्भित ईंट भट्ठा वर्ष, 2021 से स्थापित एवं संचालित है।
3. कार्याल अभिलेखानुसार ईंट भट्ठे को बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–एच71341 दिनांक 08.02.2022 के माध्यम से बन्दी आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
4. ईंट भट्ठे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं फुकाई आदि प्रक्रिया द्वारा लगभग–20,000 ईंट/दिन का उत्पादन कार्य किया जाता है।
5. ईट भट्ठे में ईंधन के रूप में तूरी/लकडी का प्रयोग लगभग 3.5 मी.टन/दिन किया जाता है। तूरी/लकडी के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू–तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित की गयी है।
6. निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर सीढ़ी, प्लेटफार्म, पोर्टहॉल आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी।

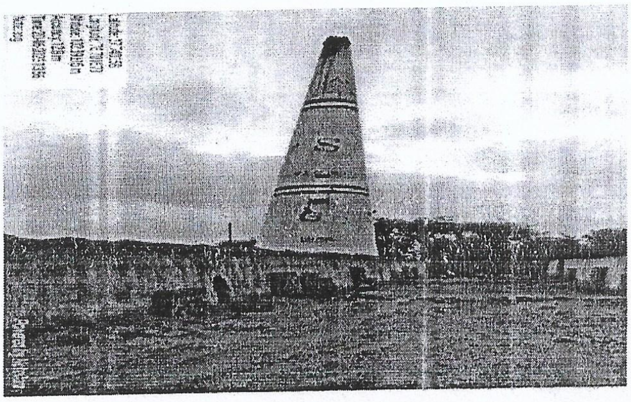

7. कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज के माध्यम से प्राप्त संयुक्त जांच आख्या के अनुसार दिनांक 14.04.2023 को गठित समिति द्वारा उक्त ईट भट्ठे का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। समिति द्वारा मौके पर उक्त ईट भट्ठे में आग की फुकाई बन्द करा दी गयी। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।
8. सन्दर्भित ईट भट्ठे का जी.एस.टी. संख्या–09CNNPR7827J1Z, राज्यकर विभाग द्वारा जारी किया गया है, जिसके अनुसार ईट भट्ठे के प्रोपराइटर श्री तौसिफ रजा पुत्र श्री शकीलुर्रहमान, ग्राम–करसाना, थाना–अमांपुर, तहसील–सहावर, जनपद–कासगंज है, जी.एस.टी. प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए एवं उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा ईंट भट्ठे के संचालन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ईंट भट्ठे का संचालन दिनांक 05.04.2023 से प्रारंभ किया गया है। अतः दिनांक 05.04.2023 से दिनांक 14.04.2023 तक कुल 10 दिन को डिफाल्टर मानते हुए ईंट भट्ठे के विरूद्ध केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु जारी गाइडलाइन के अनुसार EC=PIxNxRxSxLF, EC=50x1x500x.5x1.0 =12,500/- प्रतिदिन की दर से 10 दिवस हेतु कुल रू0 12,500x10 = 1,25,000/- की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के साथ–साथ ईंट भट्ठे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–37 के अन्तर्गत अभियोजनात्मक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

30/06/23

(जितेन्द्र कुमार शर्मा)	(जितेन्द्र कुमार)	(उपेन्द्र प्रसाद)	(अजय कुमार)
प्रयोगशाला सहायक	अनुश्रवण सहायक	अवर अभियन्ता	सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)

सत्यमेव जयते

Government of India
Form GST REG-06
[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number : 09CNNPR7827J1Z2

1.	**Legal Name**	TAUSIF RAZA
2.	**Trade Name, if any**	M/S A. S. G. ENT UDYOG
3.	**Constitution of Business**	Proprietorship
4.	**Address of Principal Place of Business**	., VILLAGE KARSANA, AMANPUR, SAHAWAR, KASGANJ, Kanshiramnagar, Uttar Pradesh, 207241
5.	**Date of Liability**	
6.	**Period of Validity**	From 05/10/2021 To Not Applicable
7.	**Type of Registration**	Regular
8.	**Particulars of Approving Authority**	Centre

Signature

Signature Not Verified
Digitally signed by DS GOODS AND SERVICES TAX NETWORK(4)
Date: 2021.10.05 12:16:11 IST

Name	Hari Dutt Upreti
Designation	Superintendent
Jurisdictional Office	Kashiram Nagar Sector-1
9. Date of issue of Certificate	05/10/2021

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of business in the State.

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 05/10/2021 by the jurisdictional authority.

Annexure A

सत्यमेव जयते

GSTIN	09CNNPR7827J1Z2
Legal Name	TAUSIF RAZA
Trade Name, if any	M/S A. S. G. ENT UDYOG

Details of Additional Places of Business

Total Number of Additional Places of Business in the State	0

सत्यमेव जयते

Annexure B

GSTIN	09CNNPR7827J1Z2
Legal Name	TAUSIF RAZA
Trade Name, if any	M/S A. S. G. ENT UDYOG

Details of Proprietor

1

Name	TAUSIF RAZA
Designation/Status	Proprietor
Resident of State	Uttar Pradesh